इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.io से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024-ज्येष्ठ 24, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 14 जून 2024

आर क्रमांक 1926938/2024/सत्रह/मेडि:02

प्रारूप 1

पंजीकृत चिकितसक (आरएमपी) की राय का प्रारूप (बीस सप्ताह तक गर्भावस्था की अवधि के लिए)

群 <u> </u>
(पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी का नाम और अर्हताएं स्पष्ट अक्षरों में)
(पंजीकृत चिकित्सक का पूरा पता)
प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरी राय में, जो सद्भावपूर्वक बनाई गई है।
(गर्भवती स्त्री का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)
निवासी
(गर्भवती स्त्री का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में)
के गर्भ का समापन करना निम्नतिखित कारणों से आवश्यक है*।
मैं यह सूचना देता/देती हूं कि मैंने संदर्भित महिला, जिसकी अस्पताल/अनुमोदित स्थान के एडमिशन रजिस्टर में ऋम
संख्यांक
स्थानः
दिनांक:

पंजीकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर

- * मद (a) से (e) तक की मदों में विनिर्दिष्ट कारणों में से वह एक लिखिए जो उचित हो:
 - (a) गर्भवती स्त्री के जीवन की रक्षा के लिए।
 - (b) गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली गंभीर क्षति के निवारण के लिए।
 - (c) इस दृष्टि से कि इस बात के पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मार्जिक अपसामान्यताओं से पीडित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो।
 - (d) इसलिए कि गर्भवती स्त्री का यह अभिकथन है कि गर्भ बलात्संग द्वारा हुआ है।
 - (e) इसिलए कि यह गर्भ, बच्चों की संख्या सीमित रखने या गर्भ को ठहरने से रोकने के प्रयोजन के लिए, स्त्री अथवा उसके साथी / सहभागी द्वारा प्रयोग में लाई गई किसी गर्भ निरोधक युक्ति या तरीके की विफलता के फलस्वरूप हुआ है।

टिप्पण- यह अवधारण करने के लिए कि क्या उसके गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गभीर क्षति पहुंचेगी, उस स्त्री कि वास्तविक या युक्तियुक्त पूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।

स्थानः

दिनांक:

पंजीकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर

प्रारूप 2

[विनियम 4(5) देखिए]

माह एवं वर्षः

- 1. राज्य का नामः
- 2. अस्पताल/अनुमोदित स्थान का नामः
- 3. गर्भ की अवधिः (केवल प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल संख्या दें)
- (क) 9 सप्ताहों तक (केवल औषधीय गर्भसमापन में):
- (ख) 12 सप्ताहों तक (केवल सर्जिकल विधि द्वारा गर्भ सभापन में):
- (ग) 12-20 सप्ताहों के बीचः
- (घ) 20-24 सप्ताहों के बीचः
- (इ) 24 सप्ताहों के बादः
- 4. स्त्री का धर्मः (प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल संख्या दीजिए)
- (क) हिन्दू:
- (ख) मुसलमानः
- (ग) ईसाई:
- (घ) अन्यः
- गर्भ निरोधन की स्वीकृति देते हुए समापनः (प्रत्येक उप–शीर्ष के अंतर्गत कुल संख्या दें)
- (क) नसबंदीः
- (ख) आईयूसीडी
- (ग) गर्भनिरोधक गोली / गर्भनिरोधक सुई
- (घ) अन्यः
- 6. समापन के कारणः (प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल संख्या दें)
- क. 20 सप्ताहों तक के गर्भ की अवधि में
- (क) गर्भवती स्त्री के जीवन को खतराः
- (ख) गर्भवती स्त्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति:
- (ग) बलात्संग द्वारा हुआ गर्भः
- (घ) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो:
- (इ) किसी गर्भ निरोध युक्ति अथवा तरीके कि विफलताः

ख. 20-24 सप्ताहों के बीच के गर्भ की अवधि में

(क) थीन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवीः

(ख) माईनर (अवयस्क):

- (ग) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह-विच्छेद):
- (घ), शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियां (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता)ः

(इ) मानसिक रूप से रूग्ण स्त्री जिसके अंतर्गत मानसिक मन्दता भी है:

- (च) भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीडित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो:
- (छ) मानवीय रिथतियों या आपदा या आकरिमकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषितः

ग. 24 सप्ताहों के बाद के गर्भ की अवधि में

(क) भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो:

ग्रगारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक

प्रारूप 3 [विनियम 5 देखिए] एडमिशन रजिस्टर

[इस रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर इसे नष्ट कर दिया जाए]

	- स्वर्
स्पताल/सस्था का नामः	माहवर्ष

ī.	एडिमशन	रोगी	पत्नी/	आयु	धर्म	पता		1	गर्भ		1	पंजीकृत	उस पंजीकृत	गर्भ समापन	गर्भ
٢	की	का	पुत्री				अवधी	समापन	समापन	छुट्टी देने	एवं	चिकित्सक का	चिकित्सक का	की विधि	समापन
	तारीख	नाम		- 1			-	के	की	की	टिप्पणी	नाम, जिसके	नाम, जिसके	(एपवीए/	पश्चातः
								कारण	तारीख	तारीख		द्वारा राय	द्वारा गर्भ	ईवीए/	गर्भ
			3						6			कायम की गई	समापन किया	एमएमए/	निरोधन
			0.54	- 4	i.			el +06	-			है	गया है	डीएंडसी/	(महिला
												(24 सप्ताह		अन्य)	नसबंदी)
	. 1				e"		-			F 6		से अधिक			(टीएल/
												समय के गर्भ	.,		आईयूसीडी
												के लिये			ओसीपी/
						Chi:	in a					मेंडिकल बोर्ड			अन्य/
2												के सदस्यों क			कुछ नही
				-								नाम लिखें			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									1122723						
					-0-			-							
277							10			, is				3	
-8	1///						1								
		1						1111	ST A			2	113311		

आर क्रमांक 1926938/2024/सत्रह/मेडि:02

FORM I

RMP Opinion Form

(For gestation age upto twenty weeks)

[See Regulation 3]
L
(Name and qualifications of the Registered Medical Practitioner in block letters)
(Full address of the Registered Medical Practitioner)
hereby certify that I am of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of
(Full name of pregnant woman in block letters)
resident of
(Full address of pregnant woman in block letters)
for the reasons given below*.
I hereby give intimation that I terminated the pregnancy of the woman referred to above who bears the Serial No in the Admission Register of the hospital/approved place.
Place:
Date:
Signature of the Registered Medical Practitioner
*of the reasons specified items (a) to (e) write the one which is appropriate:
 a. in order to save the life of the pregnant women, b. in order to prevent grave injury to the physical and mental health of the pregnant woman, c. in view of the substantial risk that if the child was born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped, d. as the pregnancy is alleged by pregnant woman to have been caused by rape, e. as the pregnancy has occurred as a result of failure of any contraceptive device or methods used by a woman or her partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy.
Note: Account may be taken of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health.
Place:
Date:
Signature of the Registered Medical Practitioner

FORM II [Refer Regulation 4(5)]

- 1. Name of the State:
- 2. Name of Hospital/approved place:
- 3. Duration of pregnancy: (Give total number only under each sub-head)
- (a) Upto 9 weeks (Medical Methods of Abortion Only):
- (b) Upto 12 weeks (Surgical Methods of Abortion Only):
- (c) Between 12-20 weeks:
- (d) Between 20 -24 weeks:
- (e) Beyond 24 weeks:
- 4. Religion of woman: (Give total number under each sub-head)
- (a) Hindu:
- (b) Muslim:
- (c) Christian:
- (d) Others:
- 5. Termination with acceptance of contraception: (Give total number under each sub-head)
- (a) Sterilization:
- (b) IUCD:
- (c) OCP/Injectable Contraceptive:
- (d) Others:
- 6. Reasons for termination: (Give total number under each sub-head)
- A. Up to 20 weeks of gestation
- (a) Danger to the life of the pregnant woman:
- (b) Grave injury to the physical and mental health of the pregnant woman:
- (c) Pregnancy caused by rape:
- (d) Substantial risk that if the child was born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped:
- (e) Failure of any contraceptive device or method:
- B. Between 20-24 weeks of gestation
- (a) Survivors of Sexual Assault/Rape/Incest:
- (b) Minors:
- (c) Change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce):
- (d) Women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)]:
- (e) Mentally ill women including mental retardation:
- (f) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped:
- (g) Women with pregnancy in humanitarian settings or disasters or emergency situations as declared by Government:
- C. Beyond 24 weeks of gestation
- (a) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped:

FORM III [Refer Regulation 5] Admission Register

[To be destroyed on the expiry of five year from the date of the last entry in the Register]

	# // Facility									MonthYear					
ý	Ī,	Name of the Patient	Wife/ Daughter o	Age	Religion	ddress	Duration of Pregnancy	Reasons on which pregnancy terminated	termination of pregnanc	discharge	Remark		Medical Practitioner(s) by whom pregnancy is terminated	Method of MTP MVA/ EVA/ MMA/ D&C/ others)	post Abortion contraception (Tubal Ligatu (TL)/IUCD/O P/ Injectables others/ Nose)
	#WT		on a		-			- n - i - i - i		2	14116	board member	-44:		(a) (b) (c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	н	12	13	14	15	16
-			-,								9				-
-															
_													-		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरभि गुप्ता, सचिव.